न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : हिमांशु गुप्ता, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 96 / 2016

अपीलार्थीगण–
1. मांगाराम उर्फ मांगूसिंह पुत्र करना
2. श्रीमती पार्वती पत्नी करना

जाति रावणा राजपूत निवासी
हाथीसिंह की ढाणी तहसील शिव
जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट –
राजस्थान राज्य जरिये
तहसीलदार शिव

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू–राजस्व अधि0, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 09.02.1983 जो ग्राम कोटड़ा के नामान्तरकरण सं. 972 मे तहसीलदार शिव द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–
1. श्री राणाराम गौड़, अधिवक्ता अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. राजकीय पैरोकार, रेस्पोडेंट की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 23 / 07 / 2019

1. अपीलार्थी की ओर से यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार शिव के द्वारा नामान्तरकरण सं. 972 मे पारित आदेश दिनांक 09.02.1983 के विरूद्ध पेश की गई हैं।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि ग्राम कोटड़ा के खसरा नम्बर 346 राकबा 33–09 बीघा भूमि करना, होता पि0 बींजा कौम वजीर साकिन दे हके नाम संयुक्त खातेदारी मे दर्ज थी। उक्त खातेदार करना के फोत होने पर हल्का पटवारी कोटड़ा द्वारा नामान्तरकरण सं. 972 करना के जायज वारीसान के रूप में सेंभू, लाला पि0 करना के नाम दायर कर तहसीलदार शिव के समक्ष प्रस्तुत किया। तहसीलदार शिव द्वारा अपने आदेश दिनांक 09.02.1983 के द्वारा उक्त नामान्तरकरण को स्वीकृत कर दिया। अपीलांट्स ने तहसीलदार शिव द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.07.2015 को प्रस्तुत की है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

3. अपीलार्थीगण की अपील मे मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अपीलाधीन रेकर्ड मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष को सुना। अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपीलांट सं. 1 के पिता एवं अपीलांट सं. 2 के पति करना के नाम संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा कोटड़ा के खसरा नम्बर 346 रकबा 33–09 बीघा आई हुई थी। इसके अलावा मौजा कोटड़ा के ही खसरा नम्बर 183 रकबा 99–03 बीघा भूमि संयुक्त खातेदारी की आई हुई थी। हल्का पटवारी कोटड़ा द्वारा मृतक करना के फोत होने पर खसरा नम्बर 346 के लिए विरासत के नामान्तरकरण को दायर करते समय बिना जांच एवं सुनवाई अपीलांट के स्थान पर मनमर्जी से सेंभू, लाला पि0 करना का नाम दर्ज कर दिया, जबकि सेंभू, लाला पि0 करना नाम से कोई व्यक्ति ग्राम कोटड़ा मे निवास नहीं कर रहे हैं। अपीलार्थी के पैतृक खातेदारी की अन्य भूमि खसरा नम्बर 183 का नामान्तरकरण सं. 1036 भरते समय अपीलार्थीगण का नाम दर्ज कर ग्राम पंचायत कोटड़ा के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे ग्राम पंचायत द्वारा अपीलार्थीगण की सुनवाई एवं जांच के पश्चात स्वीकृत कर दिया। इस प्रकार तहसीलदार शिव द्वारा खसरा नम्बर 346 मे मृतक करना के विधिक वारीसान अपीलार्थीगण को छोड़कर सेंभू, लाल पि0 करना का नाम दर्ज कर दिया जो, बिना जांच एवं सुनवाई के होने से निरस्त योग्य हैं।

अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित करने से पूर्व अपीलांट्स को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया तथा न ही मृतक करना के वारीसान की जांच की गई। अपीलांट्स द्वारा नामान्तरकरण सं. 1036 पारित होने पर यह समझते रहे कि दोनो खसरों की भूमियों का नामान्तरकरण उनके नाम स्वीकृत हो गया हैं किन्तु वर्तमान मे राजस्व लोक अदालत के शिविर मे अपनी संयुक्त खातेदारी की भूमि के विभाजन हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तथा नकलें प्राप्त करने पर दिनांक 15.07.2015 को जानकारी हुई। इस प्रकार जानकारी होने से यह अपील अन्दर मयाद यह अपील प्रस्तुत की गई है जो उल्लेखित आधार पर स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त फरमाया जावें तथा अपीलार्थीगण की पैतृक खातेदारी की भूमि का नामान्तरकरण अपीलार्थीगण के नाम स्वीकृत करने का आदेश फरमावे।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

6. रेस्पोडेंट तहसीलदार शिव की ओर से पैरोकार सरकार ने प्रकट किया कि तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा मौजा कोटड़ा के खसरा नम्बर 346 के खातेदार करना के फोत होने पर उसके वारीसान के बारे मे जानकारी करने के बाद नामान्तरकरण सं. 972 दायर किया, जिसकी जांच हल्का भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा की गई एवं तहसीलदार शिव द्वारा आदेश दिनांक 09.02.1983 के द्वारा स्वीकृत कर दिया गया। वर्तमान मे मृतक करना के विधिक वारीसान के रूप मे सेंभू, लाल पि0 करना का नाम खातेदारी मे दर्ज है, जिन्हे इस प्रकरण मे पक्षकार नहीं बनाया गया है एवं न ही उन्हे सुनवाई हेतु कोई नोटिस जारी किया गया है, ऐसे मे यह अपील हितबद्ध पक्षकारान के असंयोजन के फलस्वरूप खारिज योग्य है।

7. हमने दोनो पक्षों द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि ग्राम कोटड़ा के खसरा नम्बर 346 राकबा 33–09 बीघा भूमि करना, होता पि0 बींजा कौम वजीर साकिन दे हके नाम संयुक्त खातेदारी मे दर्ज थी। उक्त खातेदार करना के फोत होने पर हल्का पटवारी कोटड़ा द्वारा नामान्तरकरण सं. 972 करना के जायज वारीसान के रूप में सेंभू, लाला पि0 करना के नाम दायर कर तहसीलदार शिव के समक्ष प्रस्तुत किया। तहसीलदार शिव द्वारा अपने आदेश दिनांक 09.02.1983 के द्वारा उक्त नामान्तरकरण को स्वीकृत कर दिया। अपीलांट्स ने तहसीलदार शिव द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.07.2015 को प्रस्तुत की है। अपील के साथ अन्य खातेदारी खेत खसरा नम्बर 183 का नामान्तरकरण सं. 1036 प्रस्तुत किया हैं जिसमें मृतक करना के उत्तराधिकारीगण के रूप मे अपीलार्थीगण का नाम दर्ज कर ग्राम पंचायत कोटड़ा के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे ग्राम पंचायत द्वारा अपीलार्थीगण की सुनवाई एवं जांच के पश्चात स्वीकृत कर दिया। इस प्रकार तहसीलदार शिव द्वारा अपीलार्थी सं. 1 के पिता मृतक करना के विधिक वारीसान की जांच किये बिना ही अपीलाधीन नामान्तरकरण दर्ज कर दिया जबकि इस नाम का कोई व्यक्ति गांव मे निवास ही नहीं कर रहा था। अपीलार्थीगण द्वारा मयाद के बिन्दु पर प्रकट कारण सद्भाविक प्रतीत होता हैं कि जब एक खाता मे नाम सही था तो निःसन्देह ही अन्य सही होने का अनुमान किया जाता हैं लेकिन पारिवारिक बंटवाड़ा करने हेतु नकल जमाबन्दी लेने पर जानकारी होने पर यह अपील प्रस्तुत की गई है जो प्रकट आधारों पर स्वीकार योग्य प्रतीत होती हैं, लिहाजा विलम्ब को क्षमा किया जाना न्यायाचित हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 972 अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार शिव को पुनः इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि मृतक करना के विधिक वारिसान की जांच करते हुए उन्हे सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः नये सिरे से नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करें।

9. आदेश आज दिनांक 23.07.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर